न्यायालय लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही राज.

बईजलास पीठासीन अधिकारी श्री हंसमुख कुमार (आर.ए.एस.)

प्रार्थी		अप्रार्थीगण
वीराराम पुत्र दानाजी जाति रेबारी नि. फलवदी तहसील व जिला सिरोही	बनाम	1. स्टेट जरिये तहसीलदार, सिरोही

उपस्थित–

1. प्रार्थी की ओर से श्री परीक्षित खरोर अधिवक्ता
2. स्टेट जरिये तहसीलदार सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार

राजस्व प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत वास्ते राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्ती करवाने

–:निर्णयः–

दिनांक 22.12.2020

प्रार्थी वीराराम पुत्र दानाजी जाति रेबारी निवासी फलवदी, तहसील व जिला सिरोही ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि गाव फलवदी, पटवार हल्का जैला, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र तवरी तहसील सिरोही में नये खसरा नम्बर 1226 रकबा 0.9700 हैक्टेयर आयी हुई हैं सेटलमेन्ट से पूर्व मौजा गाव फलवदी पटवार हल्का जैला में पुराने खसरा नम्बर 925 का एक बड़ा चक था, जिस चक को अलग–अलग भागों में बाटा गया। जिसमें प्रार्थी के सेटलमेंट से पूर्व खातेदारी के कब्जे काश्त के पुराने खसरा नम्बर 925/1 था जिस पर प्रार्थी कब्जे काश्त हैं तथा खेतीबाड़ी कर अपनी जिविकोपार्जन करता हैं। खातेदारी की कब्जे काश्त कृषि भूमि के पुराने खसरा नम्बर 925/1 की जगह नये खसरा नम्बर 1226 राजस्व अधिकारीयों द्वारा कर दिये गये तथा जहां वह काबिज काश्त था वहा से उसे सेटलमेंट के बाद राजस्व अधिकारियों की गलती व लापरवाही द्वारा राजस्व रेकर्ड नक्शें अनुसार दूसरी जगह पर बैठा दिया गया। जबकि उसकी कृषि आराजी वहा पर स्थित नहीं है तथा ना ही प्रार्थी उस जगह पर काबिज काश्त हैं। सेटलमेंट के दौरान राजस्व अधिकारियों की लापरवाही व गलती के कारण प्रार्थी की कृषि आराजी को वर्तमान में जहा प्रार्थी काबिज काश्त है वहा नही दर्शा कर किसी अन्य जगह पर नक्शें में दर्शाया गया हैं। जहा पर प्रार्थी काबिज काश्त नही हैं। जिस कारण प्रार्थी को सरकारी कार्यों में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है राजस्व रेकर्ड के नक्शें में प्रार्थी की कृषि आराजी को दुसरी जगह दर्शाकर गलत इन्द्राज होने से प्रार्थी को अपनी खोतेदारी हक अधिकारों के प्रति शंका व व्यवधान उत्पन्न हो रहा हैं तथा राज्य सरकार से मिलने वाली योजनाओं का लाभ नही मिल रहा हैं व प्रार्थी के राजकीय [illegible] हैं जिससे प्रार्थी को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हैं, जिसका शुद्धिकरण [illegible] प्रार्थी के लिये अत्यन्त आवश्यक हो गया हैं। प्रार्थी ने वर्णित खातेदारी की कब्जे काश्त भूमि [illegible] राजस्व रेकर्ड नक्शें में दूसरी जगह दर्शाया हैं उस त्रुटी को दुरूस्त कर प्रार्थी [illegible] हैं वहा राजस्व रेकर्ड के नक्शें में दर्शाने का का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:58:34 IST
Reason: SelfAttested

उक्त राजस्व प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेजात यथा जमाबंदी, मिलान क्षेत्रफल, सेटमेंट से पूर्व का नक्शा सेटलमेंट से बाद का नक्शा आदि का अवलोकन कर राजस्व प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं से प्रथम दृष्टया आश्वस्त होने पर दिनांक 8.2.2019 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी स्टेट जरिये तहसीलदार सिरोही को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही ने जरिए पत्र क्रमांक 1013 दिनांक 23.11.2020 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जिसे दिनांक 08.12.2020 को शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सिरोही ने जवाब में कथन किया है कि मौजा फलवदी के खसरा नम्बर 1226 रकबा 0.97 हैक्टेयर वर्तमान जमाबन्दी के खाता संख्या 269 अनुसार वीराराम पुत्र दाना रेबारी साकिन देह खातेदार के नाम दर्ज है। पूर्व में खसरा न. 925 एक बड़ा चक था जिसके उक्त बड़े खसरे में प्राथी के खातेदारी भूमि रकबा 0.97 हैक्टेयर दर्ज था चुँकि मिलना क्षेत्रफल के अनुसार वर्तमान खसरा नम्बर 1226 रकबा 0.97 हैक्टयर मुल खसरा 925 से बना है। वक्त सेटलमेंट भू–प्रबन्ध द्वारा प्रार्थी खातेदार के गत खसरा नम्बर 925/1 की कब्जे काश्त की जगह को अन्यत्र तरमीम की गई है। कब्जानुसार तरमीम नहीं होने से प्रार्थी खातेदार को परेशानी होने से शुद्धि का दावा किया गया है जो सही है। वर्तमान में प्रार्थी का कब्जा नये खसरा नम्बर 1128 बिलानाम भूमि किश्म मगरी में रकबा 41.17 हैक्टेयर में से रकबा 0.97 हैक्टेयर पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है जिससे संलग्न नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी व अप्रार्थी स्टेट पेरोकार सरकार द्वारा निवेदन करने पर अन्तिम बहस दिनांक 8.12.2020 को सुनी गई। हमने प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों, स्टेट जरिये तहसीलदार सिरोही जवाब उसके संलग्न राजस्व रिकार्ड का अवलोकन व मनन किया। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भूराजस्व अधिनियम 1956 के तहत दुरूस्ती बाबत प्रस्तुत किया है। प्रकरण में प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड अनुसार तहसील सिरोही के राजस्व ग्राम फलवदी के खसरा नबंर 1226 रकबा 0.97 हैक्टेयर भूमि वीराराम पुत्र दानाजी जाति रेबारी साकिन देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी के अनुसार उक्त खसरा नंबर पर प्रार्थी काबिज नहीं होकर खसरा नंबर 1128 में काबिज है एवं तदनुसार खातेदारी की तरमीम दुरूस्ती चाही है। स्टेट जरिये तहसीलदार सिरोही के जवाब अनुसार खसरा नंबर 1226 का भूप्रबन्ध पूर्व पुराना नंबर 925/1 था जिसकी पुष्टि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के प्रथम व द्वितीय पैरा में भी स्वयं प्रार्थी द्वारा की गई है। स्टेट जरिये तहसीलदार सिरोही के जवाब में यह भी अंकित है कि प्रार्थी द्वारा जिस 1128 खसरा नंबर में अपनी खातेदारी दुरूस्ती चाही गई है वह भू प्रबन्ध पूर्व पुराने नंबर 860 मी. से बना है। ऐसी स्थिति में मूल नंबर जिसमें प्रार्थी एवं उसके पूर्ववर्ती रसाधिकारियों द्वारा अपना कब्जा बताया गया है वह 860 मी. से बनना जाहिर है। प्रार्थी द्वारा नवीन खसरा नंबर में खातेदारी दुरूस्ती चाही गई है जिसका कोई आधार प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में न तो उल्लेखित किया है न ही उन कारणों का अंकन किया है जिसके आधार पर नवीन खसरा नंबर 1128 का खातेदार बाबत दुरूस्ती की जा सके। प्रार्थी द्वारा अपने कब्जे के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है एवं न ही इस बाबत कोई तथ्य प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत किया है कि उनका कब्जा आवंटन से भिन्न अन्य मूल खसरा नंबर में कब से एवं किस कारण से है। पत्रावली के संलग्न जमाबंदी संवत 2052–55 ग्राम फलवदी के खाता संख्या 166 के अनुसार उक्त भूमि पूर्व में मना पुत्र गमना रावल साकिन देह खा[illegible] नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड थी जिसे नामान्तकरण संख्या 921 दिनांक [illegible] द्वारा उक्त संपूर्ण भूमि खरीदा जाना जाहिर है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी [illegible] मूल आवंटी न[illegible]कर उसके द्वारा जरिये बेचाननामा उक्त भूमि में खातेदारी अधिकार तत्समय द[illegible] खसरा नंबर अनुसार क्रय कर प्राप्त किये गये है। एक प्रकार से प्रार्थी द्वारा राजकीय खसरा नंबर 1128 में बिना को[illegible]स दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर खातेदारी चाही गई है जों भूप्रबन्ध पूर्व के मूल खसरा नंबर से अन्य खसरा नंबर में आता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Harsmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:58:34 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भूराजस्व अधिनियम 1956 तथ्यों व दस्तावेजों की अपूर्णता के कारण स्वीकार योग्य नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार सिरोही को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार कार्यवाही कर पालना प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(हंसमुख कुमार)
लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 22-12-2020को मेरे हस्ताक्षर, पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया ।

लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Harsmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:58:34 IST
Reason: SelfAttested